...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 17.10.2017

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर जिला जयपुर को दिनांक 28.07.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 22.09.2017 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम जयपुर के पत्र क्रमांक 10981 दिनांक 13.10.2017 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। अपीलांट स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलांट को सुना गया। अपीलान्ट ने कथन किया कि प्रस्तुत प्रा.पत्र के अन्तर्गत मुझे सूचना नही मिली गई है।

पत्रावली का अवलोकन करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर) से प्राप्त पत्र क्रमांक कोर्ट/2017/10981 दिनांक 13.10.17 के संलग्न अपीलांट को प्रेषित पत्र की छायाप्रति क्रमांकः एसीईएम/2017/10611 दिनांक 5.10.17 के अनुसार अपीलार्थी को कार्यालय में सूचना उपलब्ध नही है की सूचना से अवगत कराते हुये सूचित किया गया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी, एवं (सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर)से इस सम्बन्ध में अपीलांट ने अभी तक पूर्ण सूचना नही मिलना बताया है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, एवं (सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 28.7.2017 अंकित वांछित सूचना अपूर्ण उपलब्ध कराई गई है। अतः आवेदन पत्र के अनुरूप पूर्ण सूचना शीध्र निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. मोहन लाल यादव)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर–प्रथम,जयपुर